सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,
अध्यक्ष / सचिव

रामपाल सिंह फार्मेसी कॉलेज दातागंज, बदायूं सोसायटी / ट्रस्ट – श्री रामपाल सिंह मेमो० एजूकेशन एण्ड चौरिटेबल ट्रस्ट दातागंज, बदायूं।

लखनऊ:दिनांक– 14–7–2022

पत्रांक: प्राशिप / परिषद / 2022 / 5845

विषय:– सत्र 2022–23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14–56 / Approval Process for 2022-23 as) / 11621–23 दिनांक 21–6–2022 एवं मा० उ न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम 2022–23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति / अ निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिष दिल्ली / पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यकम के अनुमोदनोपरांत ही की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–2022 एवं पी०सी०आई०, नई दिल Approval Process for 2022-23 as) / 11621– उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14–56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621– उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14–56 / 2022 राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस दिये गये निर्देशों के अनुकम में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित एस०एल०पी० नं० 406 / 2022 में सहमति / अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में योजित एस०एल०पी० नं० 406 / 2022 में अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022–23 हेतु परिषद काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022–23 हेतु परिषद आहूत सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उ अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय मे प्राप्त नहीं कराया गया त स्थिति में संस्था को सत्र 2022–23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों क किया जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी०सी०आई परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों / मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय स एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स निरीक्षण में मानकों / शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए

भवदीय,

सचिव
श्री रामपाल सिंह मेमो० एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, दातागंज (बदायूं)

(सुनील कुमार सोन
सचिव

तद्दिनांक– 14–7–2022

पृ०सं०– प्राशिप / परिषद / 2022 / 5846–47

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार–कम–सेकेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउंसिल बि टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान ए गालिब मार्ग, नई दिल्ली– 110 002

(सुनील कुमार सोन
सचिव

सचिव
श्री रामपाल सिंह मेमो० एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, दातागंज (बदायूं)